<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर</u>

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 66/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. जीवण सिह पुत्र नारायण सिंह
2. रघुनाथ सिह पुत्र नारायणसिंह
3. गिरधरसिंह पुत्र नारायणसिंह
4. दशरथसिंह पुत्र नारायण सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण भराई तहसील केकडी जिला अजमेर

————प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. कानसिंह पुत्र देवसिंह
2. महावीर सिहं पुत्र देवसिंह
3. कल्याण सिह पुत्र देवसिंह
4. योगेन्द्र सिंह पुत्र कानसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण भराई तहसील केकडी जिला अजमेर

——————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 23.5.18

पत्रावली आज दिनांक 23.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई।

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209,राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम भराई तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069—72 के में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 324 बाडा कुल रकबा 0.24 है. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व ,उपयोग ,उपभोग की आराजीयात है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 324 में से होकर अपनी अन्य आराजीयात को काश्त करने लिये आते जाते है। दिनांक 15.5.2017 को जब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर गये तो सभी अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थीगण की आराजी पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्राथीगण को उपयोग ,उपभोग , में बाधा उत्पन्न करने लगे तथा आराजी का उपयोग उपभोग करने पर लडाई झगडा करने व मारपीट करने पर आमाद है। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे , काश्त , स्वामित्व उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 4 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त आराजीयात खसरा नम्बर 324 में उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें का निवेदन किया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण ने कोई जवाब प्राप्त हुआ। आज पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भराई में पेश हुई जहां प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित हुए।

उपस्थित पक्षकारान को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात स्वंय की खातेदारी आराजीयात है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन लडाई झगडे करना , उपयोग, उपभोग ,में बाधा उत्पन्न न करने हेतु चाहा है।

अतः अप्रार्थीगण 1 लगायात 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्र वर्णित वाके ग्राम भराई तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069—72 के में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 324 बाडा कुल रकबा 0.24 है. भूमि की तावाद विचाराधीन होने तक प्रार्थी व प्रार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी